भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

प्रेस नोट

मंत्रालयों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि

भारत सरकार ने सक्षम प्राधिकारियों द्वारा गैर-योजना स्कीमों/परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन की वित्तीय सीमाओं को संशोधित करने का निर्णय लिया है। संशोधित प्रत्यायोजन के अनुसार, गैर-योजना व्यय समिति, जो केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी गैर-योजना प्रस्तावों के लिए एक मूल्यांकन फोरम के रूप में कार्य करती है, अब 300 करोड़ रुपए और उससे अधिक के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। पहले यह सीमा 75 करोड़ रुपए थी। अब 300 करोड़ रुपए से कम की गैर-योजना स्कीमों/परियोजनाओं का मूल्यांकन मंत्रालय/संबंधित मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति द्वारा किया जा सकता है। गैर-योजना स्कीमों/परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की वित्तीय शक्ति भी बढ़ाई गई है और 500 करोड़ रुपए से कम लागत वाली स्कीमों/परियोजना को अब उनके स्तर पर अनुमोदित किया जा सकता है। पहले, प्रभारी मंत्री 150 करोड़ रुपए से कम लागत की परियोजनाएं अनुमोदित कर सकते थे। वित्त मंत्री 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक तथा 1000 करोड़ रुपए तक के वित्तीय निहितार्थों वाली स्कीमों/परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए सक्षम वित्तीय प्राधिकारी होंगे। 1000 करोड़ रुपए और उससे अधिक की वित्तीय सीमाओं वाले प्रस्तावों के लिए मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा। इसके साथ-साथ, लागत प्राक्कलनों में वृद्धि के मूल्यांकन और अनुमोदन से संबंधित वित्तीय सीमाएं भी संशोधित की गई हैं। अब अंतिम रूप से तैयार लागत प्राक्कलनों के 20% तक लागत वृद्धि का मूल्यांकन वित्त सलाहकार द्वारा और अनुमोदन, यदि लागत में कुल वृद्धि 75 करोड़ रुपए तक है तो प्रशासनिक विभाग के सचिव द्वारा और यदि लागत में कुल वृद्धि इससे अधिक है तो प्रशासनिक प्रभारी मंत्री द्वारा किया जा सकता है। वित्तीय शक्तियों में इस वृद्धि के साथ, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की योजना और गैर-योजना स्कीमों/परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन की वित्तीय सीमाएं लगभग बराबर कर दी गई हैं। इससे केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं.1(5)/2016-ई.II(ए) दिनांक 28 जून, 2016

1. प्रेस सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो- उपर्युक्त प्रेस नोट के व्यापक प्रचार के लिए।
2. एनआईसी- इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।